भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 236

उत्तर देने की तारीख : 03.02.2022

अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए योजनाएं

236. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

श्रीमती पूनम महाजन :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों के उत्थान और उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई योजनाओं तथा इस प्रयोजन के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित निधि और उपगत व्यय का ब्यौरा क्या है और कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सहित इस योजना के लाभार्थियों की संख्या राज्यवार कितनी है,

(घ) क्या वर्तमान वर्ष में इस राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): सरकार ने अल्पसंख्यकों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, आदि जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू की हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों नामत: ईसाई, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी और जैन के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं को भी लागू करता है। मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजनाएं/कार्यक्रम संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

(क) शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं:

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना- कक्षा I से X तक के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनमें से 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना- कक्षा XI से पीएच.डी तक के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनमें से 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है।

मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना- स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनमें से 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर सभी तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से किया जाता है।

(2) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना - योजना के तहत ऐसे अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिन्होंने UGC-NET या संयुक्त CSIR UGCNET परीक्षा पास की हो।

(3) नया सवेरा - निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना - योजना का उद्देश्य तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है।

(4) पढ़ो परदेश - योजना के तहत विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।

(5) नई उड़ान - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), राज्य लोक सेवा आयोगों (PSC) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) रोजगारोन्मुख योजनाएं:

(6) सीखो और कमाओ: 14-35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के कौशल विकास की योजना तथा इसका उद्देश्य मौजूदा कामगारों, स्कूल ड्रापआउट्स आदि की रोजगारपरकता में सुधार करते हुए रोजगार एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

(7) उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण):- अल्पसंख्यक समुदायों से पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों को स्वरोजगार, बाजार तथा अवसर प्रदान करने का एक प्रभावशाली मंच। शिल्पकारों/दस्तकारों को रोजगार के अवसर व बाजार उपलब्ध कराने हेतु देशभर में हुनर हाटों का आयोजन किया जा रहा है।

(8) नई मंजिल: स्कूल ड्रापआउट या मदरसों जैसे सामुदायिक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षितों को औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल प्रदान करने हेतु योजना।

(9) नई रोशनी - अल्पसंख्यक समुदायों तथा गैर-अल्पसंख्यक समुदायों (प्रत्येक बैच के 25% से अधिक नहीं) की महिलाओं में नेतृत्व विकास करना।

(ग) विशेष योजनाएं:

(10) जियो पारसी - भारत में पारसियों की आबादी में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना।

(11) हमारी धरोहर - भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।

(घ) अवसंरचना विकास योजनाः

(12) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) - योजना का उद्देश्य देश के वंचित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा जैसे कि स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, छात्रावास, सद्भाव मंडप, कौशल विकास केंद्र, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, अस्पतालों सहित स्वास्थ्य परियोजनाएं, खेल सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, आंगनवाड़ी केंद्र आदि सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना न्यूनतम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी वाले अभिज्ञात क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक या बुनियादी सुविधाओं या दोनों के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से नीचे पिछड़ेपन वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है।

(13) इसके अतिरिक्त, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF) निम्नलिखित अनुसार शिक्षा और कौशल संबंधी योजनाएं कार्यान्वित करता है: (क) अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (ख) युवाओं को अल्प अवधि का रोजगार-उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2017-18 में शुरू की गई गरीब नवाज रोजगार योजना (ग) शैक्षिक संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान।

(14) स्व-रोजगार और आय सृजक उद्यमों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी।

क्र.सं. (1) से (12) पर उल्लिखित योजनाओं के ब्यौरे इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.minorityaffairs.gov.in) पर और क्र.सं. (13) और (14) पर उल्लिखित योजनाओं के ब्यौरे क्रमश: एमएईएफ की वेबसाइट (www.maef.nic.in) और एनएमडीएफसी की वेबसाइट (www.nmdfc.org) पर दिए गए हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 2018-19 से 2020-21 तक मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 13113.47 करोड़ रुपये की राशि (संशोधित अनुमान) आवंटित किए गए हैं।

(ख): जी, हां। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट-सह-साधन और बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 1.96 करोड़ से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 6547.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ग): उपर्युक्त योजनाओं के तहत कोई राज्य-वार निधि आवंटन नहीं है। हालांकि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2018-19 से 2020-21 के दौरान 13113.47 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की राशि आवंटित किए गए हैं जिसमें से उपर्युक्त योजनाओं आदि के लिए 12083.76 करोड़ का उपयोग किया गया है, जिससे कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

(घ) और (ङ): चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 के लिए 4810.77 करोड़ रूपये के बजट अनुमान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय का बजट अनुमान (BE) 5020.50 करोड़ रूपये है।

******